...यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...क्ता 2/124/2022 तारीख रजू.............................

छीतर बनाम भजन वगैरा

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.05.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 99, 449, 454, वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश वावत् कोई उज्र हो तो दिनांक 10.06.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 10.06.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/6/22	अनुसार ... अ०/P.O. ... पत्रावली दिनांक 30/8/22 को पेश हो।	

की पालना में पत्रावली वास्ते उपाप ता. 3 के 10 बजे
दिनांक 27/10/25 को पेश हो

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

27/10/25 पीठासीन [illegible] उपस्थित।
साबिक आदेश दिनांक..........
की पालना में पत्रावली वास्ते उपाप ता. 3 के 10 बजे
दिनांक 8/12/25 को पेश हो

खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

20/11/25 पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर अपना वाद को वापिस लेना चाहते हैं एवं प्रार्थना-पत्र [illegible] करने की भी वापिस करने का निवेदन किया गया। आदेशिका पर प्रार्थी [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

हीरालाल बनाम भजन 3/124/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	हस्ताक्षर करवाये गये। जिनकी पहचान उनके अधिवक्ता ने करवाई गई। अतः प्रार्थना पत्र परिवादी वकील प्रार्थी के राजीनामा पत्र के आधार पर दर्ज नोट पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	